



NBFCs के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक के नए नयिम

चर्चा में ?

भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने गंभीर नकदी संकट का सामना कर रही बड़ी गैर बैंकगि वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies-NBFCs) को संकट से बाहर निकालने के लिये नए दशा-नरिदेश प्रस्तावति कयि हैं ताकि [IL&FS](#) जैसे संकट की पुनरावृत्ति को रोका जा सके ।

- RBI ने अपने मसौदा परपितर "NBFCs और कोर निवेश कंपनियों के लिये तरलता जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क" [Liquidity Risk Management Framework for NBFCs and Core Investment Companies (CICs)] में इन दशा-नरिदेशों का प्रस्ताव कयि है ।
- नए प्रावधानों के अनुसार, NBFCs के परसिंपत्त-देयता प्रबंधन (Asset-Liability Management-ALM) ढाँचे को मज़बूत करने और इनके वर्तमान स्तर को ऊपर उठाने के लिये, गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों में भी बैंकों की तरह तरलता कवरेज़ अनुपात (Liquidity Coverage Ratio-LCR) की व्यवस्था शुरू की जानी चाहयि ।

भारतीय रज़िर्व बैंक के दशा-नरिदेश

- RBI के प्रस्तावति नयिमों के अनुसार, जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFCs तथा जमा स्वीकार नहीं करने वाली NBFC (जनिका आकार 5,000 करोड़ रुपए हो) के लिये तरलता कवरेज़ अनुपात (LCR) व्यवस्था शुरू की जाएगी ।
- बेसल-III मानकों के तहत LCR एक मांग है जिसके अंतर्गत बैंकों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्त (High-Quality Liquid Assets-HQLA) के रूप में एक नशिचति राश बिनाए रखने की आवश्यकता होती है जो 30 दिनों तक नकदी बहर्वाह के लिये नधि प्रदान करने हेतु पर्याप्त है ।
- HQLA ऐसी तरल संपत्तियाँ हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या अल्प नुकसान अथवा बिना किसी हानि के तत्काल नकदी में परिवर्तित कयि जा सकता है या उधार के प्रयोजनों के लिये संपार्शवकि (Collateral) के रूप में इनका इस्तेमाल कयि जा सकता है ।
- उच्च गुणवत्ता वाली तरल परसिंपत्तियों के रूप में NBFCs द्वारा सरकारी परतभित्तियों में अंशधारति को अनविरय कयि जाना चाहयि ।
- जोखिम को कम करने के लिये व्यापक नीतियाँ: आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों को लागू करने के लिये 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्त वाली सभी NBFCs के बोर्ड को तरलता जोखिम कम करने के लिये परसिंपत्त देयता प्रबंध समिति (Asset Liability Management Committee), परसिंपत्त जोखिम प्रबंध समिति (Asset Risk Management Committee) और परसिंपत्त-देयता प्रबंधन में सहायता के लिये समूह (Asset-Liability Management Support Group) का गठन करना आवश्यक है ।
- आसतियों और देयताओं का असंतुलन NBFC के कुल आउटफ्लो के 10% से अधिक नहीं होना चाहयि ।
- NBFCs के लिये तरलता संकट के प्रबंधन उपकरण के रूप में अपनी आकस्मकि नधि योजना तैयार करने की आवश्यकता है जो उन्हें तरलता संकट की स्थिति में धन के वैकल्पिक स्रोतों के ज़रयि मदद करेगा और धन के एकल स्रोत पर नरिभरता पर रोक लगाएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वाणजियकि पत्र (Commercial Papers) पर NBFCs की अधिक नरिभरता के कारण अतीत में इनके द्वारा जारी कयि गए एक लाख करोड़ वाणजियकि पत्र डफ़ॉल्ट की स्थिति में पहुँच सकते हैं ।

वाणजियकि या तजिारती पत्र (Commercial Paper) एक अल्पकालकि, आरकषति वचन पत्र होता है जो बेचान (Endorsement) के द्वारा अंतरणीय एवं परक्राम्य/बेचनीय (Negotiable) है तथा परपिक्वता अवधि के बाद एक इनकी सुनशिचति (स्थरि) अंतरण या सुपुरदगी होती है ।

वाणजियकि पत्र कंपनियों द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के लिये धन जुटाने हेतु जारी कयि जाते हैं ।

- एक ग्रैनुलर मेच्योरटि बकेट प्रणाली (Granular Maturity Bucket System) का प्रस्ताव कयि गया है ताकि वह पूरे कार्यकाल के दौरान आसतियों और देयताओं के असंतुलन पर नज़र रख सके । नए मानदंडों के तहत, 1-30 दिनों के बकेट को 1-7 दिनों, 8-14 दिनों और 15-30 दिनों की बकेट में वभिाजति कयि जाएगा । इसके अलावा NBFC को अपने बोर्डों की मंजूरी के साथ आंतरकि वविकपूर्ण सीमा स्थापति कर 1 वर्ष तक के अन्य सभी समय की बकेट में उनके आसतियों तथा देयताओं के संचयी असंतुलन की नगिरानी करना आवश्यक होगा ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/reserve-bank-proposes-stringent-regulations-for-struggling-nbfc>

